न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 183/18 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2018/00201)

हरीओम पुत्र हीरासिंह जाति जाट निवासी नगला बरताई तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान।

.....अपीलान्ट

बनाम

विष्णु पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी हाथिया तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्रदेश0

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 9.8.2018 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 277

उपस्थितिः–

1. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील अपीलान्ट
2. श्री गजेन्द्र सिंह वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 05.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 9.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार भरतपुर के द्वारा आदेश दिनांक 12.6.2017 से मृताबिक विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 12.6.2017 ग्राम नगला कासौट मृतका बैकुन्ठी की विरासत का दर्ज कर स्वीकार किया गया है जिसके खिलाफ अपीलान्ट हरीओम द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9.8.2018 पारित कर यह कहते हुये कि नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है जिसमें किसी के हक–हकूक तय नहीं किये जाते है पक्षकारान हक–हकूक सक्षम न्यायालय में तय करावे और अपील अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी गई। अपीलान्ट हरीओम के द्वारा जिला कलक्टर भरतुपर के इस आदेश के खिलाफ न्यायालय हाजा में द्वितीय अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तहत पत्रावली तलब की गई और पक्षकारान को तलब किया गया। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष के वकील हाजिर हुये। प्रकरण में बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान जिला

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख करते हुए कि नामांतकरण संबंधी कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग हैं, जिसमें किसी के हक–हकूक तय नहीं किये जाते हैं। पक्षकारान को अपने हक–हकूकों को सक्षम न्यायालय में सूट दायर कर तय करना चाहिए, के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में प्रकरण के तथ्यों व गुणावगुण पर विचार किए बिना खारिज किए जाने में कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि विवादित कृषि भूमि 3277, 3364, 3372, 2552, 3428, 3498, 3499, 3279, 3280, में 1/3 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 3278/0.29 में 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 13/29 वाकै ग्राम नगला करौटा तहसील भरतपुर में मृतक बैकुन्ठी पत्नि मुन्शी खातेदार काश्तकार थी, जो अपीलान्ट की ताई लगती थी। इनके केवल मात्र एक पुत्री सरोज थी, जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है। सरोज का रैस्पो. एक मात्र पुत्र है। खातेदार बैकुन्ठी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिऐ बैकुन्ठी ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट हरीओम को अपने पुत्र की भांति अपने पास रख लिया था एवं बैकुन्ठी ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट के हक में एक वसीयत नामा दिनांक 6.6.95 को तस्दीक कराया था तथा समस्त चल–अचल सम्पत्ति का वारिस व मालिक अपीलान्ट को वनाया गया था। अपीलान्ट के पक्ष में हुयी वसीयत को रैस्पोडेन्ट या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही वसीयत के फर्जी होने के संवंध में किसी प्रकार की कोई एफ.आई.आर दर्ज कराई गई। उक्त वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु अपीलान्ट द्वारा एक वाद सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में पेश किया गया था, जिसे दिनांक 22.06.2006 को खारिज कर दिया गया था। इस निर्णय की अपील अपीलान्ट द्वारा अपील राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश किए जाने पर निर्णय दिनांक 6.2.2009 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 30.09.2009 के द्वारा अपीलान्ट के दावे को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी भरतुपर के न्यायालय में अपील पेश किए जाने पर निर्णय दिनांक 2.9.2011 के द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। उक्त दावा दिनांक 24.06.2014 को अदम हाजरी में खारिज होने के कारण उसे रैस्टोर करने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है जो अभी भी लम्बित है। खातेदार बैकुन्ठी व उसकी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद सरोज के पति प्रहलाद व उसके पुत्र हरिओम के मन में वदयान्ती आने के कारण उक्त वाद के लम्बित रहते हुये भी रैस्पोडेन्ट ने स्थानीय सरपंच से मिल्लत कर अभियान में नामांतकरण संख्या 277 अपने पक्ष में गलत रूप से दिनांक 12.06.2017 को तहसीलदार भरतपुर व पटवारी हल्का से साज कर स्वीकृत करवा लिया। जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। उक्त नामांतकरण की जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 277 की अपील तहत अदालत के समक्ष पेश की गई, जिसे जिला कलक्टर भरतपुर ने निर्णय दिनांक 9.8.2018 को खारिज किया है। इस

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई। चूंकि तहसीलदार द्वारा वाद लम्बित रहने के दौरान नामांतकरण तस्दीक किया गया है तथा जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपील में इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। अतः हर दो अदालतों के आदेश खिलाफ कानून है क्योंकि लायक तहत अदालत ने आदेश जैर अपील करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि रैस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी का दा0खा0 नियमित वाद के विचाराधीन रहते कराया गया है। रैस्पो0 को तहत अदालत में इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि पक्षकारान के मध्य आराजी बाबत विवाद कायम है ऐसी सूरत में तहत न्यायालय तहसीलदार भरतपुर को दाखिल खारिज की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए थी, परन्तु उक्त कार्यवाही स्थगित नहीं कर नामांतकरण रैस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकार किए जाने का आदेश पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने इस संबंध में आर.आर.डी 2011 पेज 616 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि किसी भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के दौरान नामांतकरण संबंधी कार्यवाही को स्थगित किए जाने का सिद्धान्त उक्त नजीर में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार आर.आर.डी 2012 पेज 765 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दावे के निस्तारण तक भूमि को रहन रखे जाने या स्थान्तरित किए जाने के संबंध में आदेश पारित किए जाने को उचित माना गया है। वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी 2016 पेज 14 पर उद्धरित निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया नामांतकरण फिसकल कार्यवाही होती है। इस आधार पर किसी पक्ष के कोई अधिकार तय नहीं होते हैं। इसी तरह आर.आर.डी 2018 पेज 101 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति की वसीयत किए जाने के बाद ऐसी सम्पत्ति के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आर.आर.टी 2017 पेज 95 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार स्वअर्जित सम्पत्ति के मालिक को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आर.आर.डी 2016 पेज 14 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वसीयत के आधार पर नामांतकरण दर्ज किए जाने के आदेश को उचित माना गया है। आर.आर.डी 2010 पेज 392 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मूल वाद के निस्तारण तक वसीयत संबंधी नामांतकरण को लम्बित रखे जाने को न्यायोचित माना गया है। इसी तरह का सिद्धान्त आर.आर.डी 1999 पेज 514 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने 2022 (1) डी.एन.जे (रेवन्यू) पेज 91 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए यह भी तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मौके पर एवं रिकार्ड में यथास्थिति रखे जाने के संबंध में दिए गए आदेश को न्यायोचित माना गया है। अतः उपरोक्त नजीरों के परिप्रेक्ष्य में वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विवादित आराजी की वसीयत खातेदार बैकुन्ठी द्वारा अपने जीवन

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

काल में स्वअर्जित सम्पत्ति का टेस्टामेनरी (एग्रीमेन्ट) कर दिया था अर्थात खातेदार बैकुन्ठी की मृत्यु निर्वसीयत हुई थी। ऐसी सूरत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान मु0 बैकुन्ठी की सम्पत्ति पर लागू नहीं होते हैं। उक्त वसयीत के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार भरतपुर को प्रार्थना पत्र मय वसीयत की सत्य प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया गया था। फिर भी तहत न्यायालय तहसीलदार भरतपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट के नाम विरासत का दाखिल खारिज दर्ज किये जाने में कानूनी भूल की गई। इस आधार पर उक्त निर्णय निरस्तनीय था। इसके बाबजूद भी विद्वान जिला कलक्टर ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी पर बैकुन्ठी की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु तहत न्यायालय तहसीलदार भरतपुर द्वारा कब्जे के बारे में कोई जांच नहीं की गई और ना ही अपीलान्ट को सूचित किया गया है। वरन् रैस्पोडेन्ट के नाम नामांतकरण स्वीकृत कर दिया गया है। बैकुन्ठी द्वारा तहरीर की गई वसीयत की पूर्ण जानकारी रैस्पो0 को थी एवं रैस्पो. की माता मृतक सरोज द्वारा भी वसीयत की दिनांक 06.06.95 को ही एक सहमति बतौर स्टाम्प पर इकरारनामा लिखकर बैकुन्ठी द्वारा की गई वसीयत पर अपनी सहमति प्रदान कर दी गई थी। स्वयं रैस्पो0 विष्णु द्वारा भी उक्त वसयीतनामा पर अपनी पूर्ण सहमति हेतु एक राजीनामा दिनांक 07.03.2006 को न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में विचाराधीन वाद संख्या 34/06 उनवानी हरीओम बनाम विष्णु में प्रदान की गई थी। इसलिए रैस्पो0 की स्वीकृति (एडमीशन) एवं वसीयत की सत्यता को स्वीकार करते हुये हर दो अधीनस्थ न्यायालयों को अपीलान्ट के हक में खातेदार द्वारा तस्दीक की गई वसीयत के आधार पर नामांतकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने के आदेश दिए जाने चाहिए थे, परन्तु दोनों अदालत मातहतों द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किए जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि आराजी पर रैस्पो0 के नाम दाखिल दर्ज होने से आराजी को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल कर सकता है। बहुवाद को रोकने के लिये हर दो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करना विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर हर दो तहत अदालत के आदेश क्रमशः जिला कलक्टर भरतपुर 9.8.2018 एवं तहसीलदार भरतपुर के नामातकरणं 277 दिनांक 12.6.2017 तहसीलदार भरतपुर निरस्त फरमाया जावे एवं वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस निर्णय में किसी तरह की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। तहसीलदार द्वारा जो नामांतकरण संख्या

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

277 दिनांक 12.06.2017 को स्वीकृत किया गया है। वह नामांतरकण राजस्व अभियान में मजमेआम में जानकारी प्राप्त करने के बाद खोला गया है। जहां तक अपीलान्ट के नाम खातेदार बैकुन्ठी द्वारा वसीयत किए जाने का प्रश्न है तो प्रथम तो उक्त वसीयत पंजीकृत नहीं है और द्वितीय रैस्पोडेन्ट की ओर से वसीयत की नकल हेतु आवेदन किए जाने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए उक्त वसीयत की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया है कि बैकुन्ठी द्वारा अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में गोद लिया जाकर गोद पुत्र बनाया गया था, परन्तु किसी प्रकार का कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर तथाकथित वसीयत में यह उल्लेख किया हुआ है कि बैकुन्ठी को वृद्धावस्था के कारण आंखों से दिखायी नहीं देता है। बैकुन्ठी एक निरक्षर महिला थी, जिसे तथाकथित वसीयत को पढकर सुनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई सत्यापक ही है। विवादित भूमि के संबंध में वर्ष 2006 से दावा लम्बित है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दावे को सहायक कलक्टर द्वारा यह मानते हुए कि वादी द्वारा स्वच्छ मन से दावा पेश नहीं किया गया है तथा उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज संदेहास्पद हैं, खारिज किया गया है। जहां तक राजस्व अपील प्राधिकारी की ओर से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किए जाने का प्रश्न है तो रिमाण्डशुदा वाद भी निरस्त हो चुका है। अपीलान्ट की ओर से न तो अदालत हाजा में और न ही अदालत मातहत में बैकुन्ठी के द्वारा अपीलान्ट को गोद लिए जाने का कोई दस्तावेज अथवा गोदनामा पेश नहीं किया। दूसरी ओर विवादित भूमि की रजिस्ट्री होने के कारण उक्त भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई क्लेम सिद्ध नहीं होता है। जहां तक सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने का प्रश्न है तो सहायक कलक्टर द्वारा दोनों पक्षों की गैर हाजरी में दावा खारिज किया गया था। उसके बाद नामांतकरण खोला गया है, जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है। क्योंकि नामांतकरण खोले जाने के दिन कोई वाद विचाराधीन नहीं था। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र अभी भी लम्बित है। जिसमें अगली पेशी दिनांक 04.10.2023 नियत है। विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में सही रूप से यह अभिमत दिया है कि नामांतकरण संबंधी कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिसमें किसी भी पक्ष के हक–हकूक तय नहीं किए जाते हैं, वरन् पक्षकारों के हक–हकूक नियमित वाद में ही तय किए जा सकते हैं। इसलिए तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 277 दिनांक 12.06.2017 व जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2018 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जावे व दोनों आदेश यथावत रखें जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से भी सहायक कलक्टर के न्यायालय में दावा संख्या 231/2006 पेश किया गया था।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिसमें रैस्पोडेन्ट की ओर से आर.टी.ए की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया था। चूंकि विवादित भूमि के खातेदार बैकुन्ठी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की गई है जिसको रैस्पोडेन्ट या अन्य किसी के द्वारा कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है। वरन् सहायक कलक्टर के न्यायालय में लम्बित वाद में राजीनामा भी किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जा व काश्त में ही है। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि सहायक कलक्टर के न्यायालय में लम्बित वाद दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। इस कारण तहसीलदार की ओर से भरा गया नामांतकरण सही है तो यह तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि अदम हाजरी व अदम पैरवी में दावा खारिज किए जाने के आधार पर किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। जबकि उक्त प्रकरण में तो अभी–भी वाद लम्बित है। रैस्पोडेन्ट को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद तथ्य छिपाकर अपने पक्ष में नामांतकरण तस्दीक करवाया है जो कि विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार की ओर से स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 277 दिनांक 12.06.2017 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से नामांतकरण संख्या 277 दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई जिसमें विवादित खसरा नंबर की खातेदार बैकुन्ठी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06.06.1995 को वसीयत किए जाने के आधार पर विवादित भूमि का नामांतकरण रैस्पोडेन्ट की बजाय स्वयं के नाम किए जाने की इस्तदुआ की गई। विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 में यह उल्लेख करते हुए कि नामांतकरण संबंधी कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है। जिसमें किसी के हक–हकूक तय नहीं किए जा सकते हैं। पक्षकारान को अपने हक–हकूकों को सक्षम न्यायालय में सूट दायर कर तय कराना चाहिए। उक्त निर्णय में आर.आर.डी 2005 पेज 85 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का भी उल्लेख किया गया है। इस नजीर में यह माना है कि उत्तराधिकार के संबंध में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने व तहसीलदार की ओर से जांच के बाद नामांतकरण खोले जाने को इस आधार पर उचित माना गया है कि नामांतकरण संबंधी प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग है। वसीयत उपहार व उत्तराधिकार के प्रकरण सक्षम न्यायालय से ही निर्णित हो सकते

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हैं। प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान नामांतकरण संबंधी कार्यवाही में इस तरह के प्रकरणों में जांच किया जाना उचित नहीं है। वकील अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत नामांतकरण संख्या 277 दिनांक 12.06.2017 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश 09.08.2018 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। जहां तक जिला कलक्टर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण की ओर से बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए अपील इस आधार पर खारिज की है कि नामांतकरण संबंधी कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है। जिसमें किसी के हक–हकूक तय नहीं किए जाते हैं। इसके लिए पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में सूट दायर करना चाहिए, परन्तु विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों व इसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया और न ही तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 277 दिनांक 12.06.2017 के गुणावगुण पर ही विचार किया। यद्यपि यह सही है कि नामांतकरण संबंधी प्रकिया एक फिसकल प्रोसिडिंग है। जिसमें किसी के हक–हकूक तय नहीं किए जा सकते हैं, परन्तु राजस्व वाद लम्बित रहने के दौरान नामांतकरण तस्दीक किए जा सकता है या नहीं इस बारे में कोई विवेचन नहीं किया। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरें यथा आर.आर.डी 1999 पेज 514, 2005 आर.आर.डी पेज 310 व 539, आर.आर.डी 2010 पेज 392, आर.आर.डी 2011 पेज 616 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार सक्षम न्यायालय से वाद निर्णित होने तक नामांतकरण संबंधी प्रकिया लम्बित रखी जानी चाहिए। जब विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष यह तथ्य सामने आ गए थे कि विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्षकारान के मध्य सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो अपीलाधीन नामांतकरण संबंधी कार्यवाही को तहसीलदार द्वारा क्यों नहीं रोका गया। इस बिन्दु के बारे में विद्वान जिला कलक्टर को अपीलाधीन निर्णय में विवेचन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अतः उक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 उचित नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित अन्य नजीरें यथा 2017 आर.बी.जे पेज 130, 2017 आर.आर.टी पेज 95, आर.आर.डी 2016 पेज 14, आर.आर.टी 2008 पेज 1284, आर.आर.डी 2018 पेज 101 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में उक्त नजीरों में वर्णित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया जाना अपेक्षित नहीं है। क्योंकि उक्त बिन्दु के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी आदि बनाकर वाद परीक्षण निर्णय किया जाना उचित है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

इसी तरह वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी 2012 पेज 765 व 2022 (1) डी.एन.जे पेज 91 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त जिसमें यह अभिमत दिया गया है कि दावों के निस्तारण तक विवादित भूमि को रहन नहीं रखे जाने व विक्रय नहीं किये जाने के संबंध में अपीलीय न्यायालय की ओर से पारित किये गये आदेश को उचित माना गया है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, क्योंकि उक्त प्रकरण में भी उभयपक्षकारान के मध्य सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में वाद लम्बित है। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष नामांतकरण संख्या 277 स्वीकृत करते समय यह तथ्य सामने नहीं आए थे कि विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्षकारान के मध्य सहायक कलक्टर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नहीं होते हैं, परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय व अदालत हाजा के समक्ष यह तथ्य सामने आने पर कि विवादित भूमि के संबंध में सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में उभयपक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है तो नामांतकरण संख्या 277 दिनांक 12.06.2017 को यथावत रखा जाना उचित नहीं है। वरन् उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण हेतु तहसीलदार भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.08.2018 व तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामांतकरण संख्या 277 दिनांक 12.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने व उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का विस्तृत परीक्षण व विवेचन के बाद वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में प्रस्तुत विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में पुनः नए सिरे से नामांतकरण भरे जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर